

दिनांक: 06/03/2025

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
2. विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/निगम/उद्यम/स्वायत्तशासी एवं सांविधिक निकाय/राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
3. राजभाषा सेवा से संबद्ध सभी अधिकारी

विषय: संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/निगमों/उद्यमों/अभिकरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए वर्ष-2025 के दौरान केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित गहन हिंदी कार्यशालाओं के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों/निगमों/उद्यमों/अभिकरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष गहन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में उपरोक्त सभी कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित किया जा सकता है।

वर्ष- 2025 के दौरान आयोजित की जानेवाली गहन हिंदी कार्यशालाओं का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है, ताकि सभी संबंधित कार्यालय अपने कार्यालय में सेवारत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कैलेंडर के अनुसार संपूर्ण वर्ष के लिए इन कार्यशालाओं में नामित कर सकें।

प्रशिक्षण संबंधी संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	अवधि	भारत सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालय जिनके लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है
1.	गहन हिंदी कार्यशाला	<p>क) विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में सरकारी कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करना</p> <p>ख) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने की झिझक को दूर करना</p> <p>ग) कार्यालयीन कार्य में दक्षता (लेखन-कौशल) प्रदान करना</p> <p>घ) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित यांत्रिक उपकरणों/सॉफ्टवेयरों की जानकारी प्रदान करना</p>	05 (पाँच) पूर्ण कार्य दिवस	संघ सरकार के मंत्रालयों/ विभागों तथा उनके नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सांविधिक निकायों/ निगमों/ उद्यमों/ अभिकरणों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारी/ कर्मचारी

पात्रता:

- राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी कार्यालयों को निदेश दिया गया है कि उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान या प्रवीणता प्राप्त है। (कार्यसाधक ज्ञान एवं प्रवीणता की परिभाषा टिप्पणी 1 व 2 में दी गई है।)
- जिन हिंदीतर भाषा-भाषी अधिकारियों/ कर्मचारियों ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के बाद कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, परंतु इसके बावजूद भी उन्हें हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए कठिनाई होती है, उन्हें इन कार्यशालाओं में नामित किया जा सकता है।
- प्रवेश की पुष्टि प्रदान करते समय, उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अभी तक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गहन हिंदी कार्यशालाओं में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

टिप्पणी-1- कार्यसाधक ज्ञान: यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने

- मेट्रिक परीक्षा या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण की है; या
- केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ अथवा सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट वांछित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या
- केंद्र सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है; या
- राजभाषा नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा की जाती है कि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी ने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

टिप्पणी-2- प्रवीणता: यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने

- मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है; या
- स्नातक परीक्षा अथवा उसकी समतुल्य अथवा उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है; या
- राजभाषा नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा की जाती है कि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी ने प्रवीणता प्राप्त कर ली है; तो उनके बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

नामांकन की प्रक्रिया:


- उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों का विवरण अनुलग्नक -III में दिए गए प्रपत्र में भरकर यथा समय इस कार्यालय को डाक द्वारा भिजवाएं; ताकि प्रगामी पत्राचार में कोई असुविधा न हो।
- नामांकन की प्राप्ति के बाद, इस कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण से पूर्व यथा समय नामांकन की पुष्टि ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।
- इस कार्यालय से पुष्टि-पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही संबंधित कार्यालय द्वारा नामित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम का विनिर्धारित कार्य समय सुबह 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक है।

प्रशिक्षण केंद्र का पता: अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, (जम्मू व कश्मीर हाउस के सामने/ राजस्थान हाउस के पास), नई दिल्ली-110011.

विशेष सूचना:

- गहन हिंदी कार्यशालाओं का वार्षिक कैलेंडर अनुलग्नक-I में दिया गया है।
- सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/निगमों/उद्यमों/बैंकों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं को परिचालित करवाने की व्यवस्था करवाएं।


- इस कार्यक्रम के लिए नामित प्रतिभागियों को नियमानुसार देय यात्रा/दैनिक भत्ता, संबंधित कार्यालय/संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।
- कृपया यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की पुष्टि इस कार्यालय द्वारा दी जाती है, उन्हें अविलंब कार्यमुक्त किया गया है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कार्यमुक्त करना संभव न हो, तो किसी अन्य अधिकारी/कर्मचारी को उनके स्थान पर नामित करना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण की समाप्ति पर इस कार्यालय द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को कार्यमुक्त करते हुए प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण केंद्र पर सीमित संख्या में सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए नामांकन प्राप्त होने पर प्रशिक्षार्थी को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
- नामांकन की पुष्टि प्राप्त होने पर ही अपने कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य किसी भी अपेक्षित जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक-II देखें, जिसमें इस कार्यालय के अधिकारियों से संबद्ध संपर्क सूत्र, प्रशिक्षण केंद्र एवं हॉस्टल का पता तथा बस रूट/निकटतम मेट्रो स्टेशन का विवरण आदि दिया गया है।

भवदीय,

(ल. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

पृष्ठांकन सं.- 19011/27/2025-केहिप्रसं/अल्प. ग. प्रशि./434-633
प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

दिनांक: 06/03/2025

1. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
2. संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, एन. डी. सी. सी -II भवन, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।
3. उ. नि. (हिं टं व हिं आ) एवं कार्यालयाध्यक्ष, केहिप्रसं।
4. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
5. सभी क्षेत्रीय उप निदेशक (कार्यान्वयन) को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
6. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
7. उप निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद एवं बेंगलूरु।
8. उप निदेशक (भाषा), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
9. सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के पोर्टल/ वेबसाइट पर इस पत्र को उपलब्ध कराने के निदेश के साथ।
10. सहायक निदेशक (मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, सातवाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।

भवदीय,

(ल. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक

प्रशिक्षण कार्यक्रम कैलेंडर - वर्ष- 2025
गहन हिंदी कार्यशालाएँ
(पाँच पूर्ण कार्य दिवसीय)

क्र. सं.	कार्यशाला क्रमांक	प्रशिक्षण की अवधि
1.	552	19.05.2025 से 23.05.2025 तक
2.	553	07.07.2025 से 11.07.2025 तक
3.	554	21.07.2025 से 25.07.2025 तक

संपर्क विवरण

<p>प्रभारी सहायक निदेशक, अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011 दूरभाष: - 011- 23793521 9582854331, 9811017886, 9998983445 ई-मेल: workshopchti@gmail.com chti1232@nic.in, chti1282-dol@nic.in, chti1153@nic.in</p>	<p>उप निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 7वां तल, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ कॉम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003; दूरभाष: - 011-24366794, मो 9871608537 ई-मेल: chti1184@nic.in,</p>
---	--

प्रशिक्षण केंद्र/ हॉस्टल का नाम, पता एवं उसके बस रूट तथा निकटतम मेट्रो स्टेशन संबंधी विवरण

<p>प्रशिक्षण केंद्र का नाम व पता: अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011 दूरभाष: - 011- 23793521 बस रूट: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संघ लोक सेवा आयोग तक- 181, 450 पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पृथ्वीराज रोड तक - 502 अ. रा. बस अड्डा से पृथ्वीराज रोड तक - 501, 503, 533 & 621 आनंद विहार बस अड्डे से पृथ्वीराज रोड तक - 624 निकटतम रेलवे स्टेशन : - खान मार्किट</p>	
<p>हॉस्टल-1 का पता एवं बस रूट छात्रावास वार्डन, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, फ्लैट नं. 2, तीसरा तल, सरकारी हॉस्टल, खालसा ईवनिंग कॉलेज के सामने, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 दूरभाष:- 011-28716509 बस रूट : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से खालसा कॉलेज- 181; पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लिबर्टी सिनेमा - 926; हॉस्टल से संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड/पृथ्वीराज रोड तक - 450, 181 निकटतम मेट्रो स्टेशन- करोल बाग</p>	<p>हॉस्टल-2 का पता एवं बस रूट छात्रावास वार्डन/ केयर टेकर, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, फ्लैट नं. 876 से 890 तक, पुष्प विहार, सेक्टर-7, शनि मंदिर के पास, नई दिल्ली- 110017. दूरभाष: 011-29562873, 24361734 बस रूट : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आर. के. आश्रम से - 521,522; पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से - 419- निकटतम बस स्टॉप - लोदी गार्डन निकटतम मेट्रो स्टेशन- चिराग दिल्ली</p>

